भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3677
जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना

3677. श्री दयानिधि मारन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की ।कृपा करेंगे कि :

(क) आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के बारे में चुनाव आयोग के सुझाव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इस मामले पर मौजूदा कानूनों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय से आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के बारे में कोई अनुदेश मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार का आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के बाद आधार के डाटा और मतदाता पहचान पत्र को दुरुपयोग से किस प्रकार बचाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या सरकार का मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने का विचार है जो चुनाव आयोग को सत्यापन प्रक्रियाओं और प्रतिलिपिकरण को समाप्त करने के लिए आधार डाटाबेस एक्ससेस की अनुमति देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क), (ख) और (ङ) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने समान व्यक्तियों के विभिन्न स्थानों पर अनेक नामांकन के जोखिम को नियंत्रित करने की दृष्टि से आधार पारितंत्र के साथ निर्वाचक नामावली को जोड़ने का प्रस्ताव किया है । इसके लिए निर्वाचन विधियों का संशोधन अपेक्षित होगा । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) : जी नहीं ।

(घ) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने यह कथन किया है कि उसने निर्वाचक नामावली डाटा प्लेटफार्म की सुरक्षा और रक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं । निर्वाचक नामावली डाटाबेस प्रणाली आधार पारितंत्र में प्रवेश नहीं करती है और प्रणाली का उपयोग केवल दो प्रणालियों के बीच टाइट एयर-दूरी बनाए रखने के अधिप्रमाणन प्रयोजन के लिए किया जाता है । ये उपाय मतदाता प्रणाली के चोरी अवरोधन और अपहरण की प्रभावी रोकथाम करेंगे ।

****